न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 144 / 2024

अनवान : –

1. कलावती पत्नि रामकरण जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर ।

– सायल

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. आशीष कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
3. गुडी देवी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
4. सन्तरो देवी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
5. कोमल पुत्री संजय जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
6. टविसा पुत्री संजय जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
7. प्रिंयका पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

–असल गैरसायलान

9. जगदीश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर ।

– तरतीबी गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 31/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मोजा चक 23 डीपीएन. तहसील नोहर के खाता सं. 17/18 के प.न. 338/445 मु.न. 19 के किला नं. 6/1 की 0.1640 हैक्टर भूमि किला न. 7 की 0.1770 हैक्टर भूमि किला नं. 8 की 0.1900 हैक्टर भूमि किला श्न 9 की 0.2020 हैक्टर भूमि किला नं. 10 की 0.2020 हैक्टर भूमि, किला नं. 11 की 0.2530 हैक्टर भूमि 12 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 13 की 0. 2530 हैक्टर भूमि, 14 की 0.2530 हैक्टर भूमि 15/1 की 0.2280 हैक्टर कुल 10 किता 2.1750 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें सायला का 1/5 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार है।

सायला के पास बाहमी बंटवारा में रोही भौजा चक 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 17/18 के प.न. 338/445 मु.न. 19 के किला नं. 6/1 व 15/1 की भूमि में आई जिस पर सायला लगातार काबिज काश्त चली आ रही है, तथा सायला ने अपनी भूमि को उर्वरा व उम्दा बनाने पर लाखो रूपये खर्च किये है तथा किला नं. 6/1 व 15/1 की भूमि पर आज भी सायला काबिज काश्त चली [illegible] है। [illegible] चक 23 डीपीएन, तहसील नोहर के खाता स. 82/78 के प.न. 33[illegible] किला नं. [illegible]/2 की 0.0130 हैक्टर भूमि, किला नं. 15/2 की 0.0250 है[illegible] की 0.0380 हैक्टर [illegible] प. न. 339/445 मु.न. 18 के किला नं. 8/2 की 0.1260 हैक्टर भूमि, 9 की 0.1640 हैक्टर भूमि 10 की 0.1770

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:37:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हैक्टर भूमि किला नं. 11 की 0.2530 हैक्टर भूमि किला नं. 12 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 13/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि किला नं. 18/2 की 0.2280 हेक्टर भूमि किला नं. 19 की 0.2530 हैक्टर भूमि किला नं. 20 की 0.2530 हैक्टर भूमि किला नं. 23/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि कुल 10 किता की 2.1630 हैक्टर भूमि किला नं. 12 की 2.2010 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें गैरसायल सं. 1 का 1/5 हिस्सा भूमि गैरसायल सं. 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं.3 का 1/5 हिस्सा, गैरसायल सं. 4 का 1/5 हिस्सा, गैरसायल सं. 5 का 1/100 हिस्सा गैरसायल सं. 6 का 1/100 हिस्सा, गैरसायल सं. 7 अकेला 1/100 हिस्सा तर गैरसायल सं. का 11/100 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान सायला के खेत रोही मौजा चक 23 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 338/445 मु.न. 19 के किला नं. 6/1 व 15/1 की 0.392 हेक्टर भूमि जो सायला के हिस्से में बाहमी बंटवारा में आई उक्त भूमि सायला के कब्जा काश्त में हे तथा उक्त किला नं. 6/1, 15/1 की भूमि के पूर्वी सींब जो उतर से दक्षिण में स्थित है में चिपते पडौसी गैरसायलान है तथा सायला के किला नं. 6/1 व 15/1 के पूर्वी सींव के चिपते गैरसायलान के खेत खाता सं. 17/18 के मु.न. 339/445 मु.न. 18 के किला नं. 10 व 11 लगते है जो गैरसायलान के कब्जा काश्त में है गैरसायलान लालची व झगडालु किस्म के व्यक्ति है। गैरसायलान वाद भूमि में हमेशा सायला की भूमि की सीव तोडकर अपनी भूमि में मिलाकर काबिज होने की चेष्ट व मंन्शा रखते है सायला महिला एवं गरीब काश्तकार है गैरसायलान अपनी राजनैतिक व पहुंच वाले व्यक्ति है अपनी राजनेतिक प्रभाव से सायला की भूमि की नींव सींव तोडकर दखलयाबि करना चाहते है जिससे सायला गैरसायलान को पाबन्द करापाने की मजाज है। सायला के किला नं. 6/1 व 15/1 के पूर्वी सींद के गैरसायलान सं. 1 व 2 पडौसी है तथा वे सायला की सींव पर खड़े पेड व झाढी काटकर सायला की खेत की नींव सींव तोडकर दखलयाबी करने पर आमादा है तथा सायला को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा गैरसायलान सं. 1 व 2 अतिक्रमण कर सायला की भूमि अपने खेत में मिलाकर काबिज होने के प्रयास में है यदि गैरसायलान अपनी मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होती है तथा ना पुरा होने वाला नुक्शान होता है इसलिए सायला गैरसायलान सं. 1 व 2 को पाबन्द करा पाने की मजाज है कि गैरसायलान सायला के हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि रोही मौजा चक 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 17/18 के किला नं. 6/1 व 15/1 की पूर्वी सींच के उतर– दक्षिण सींव व नींव को मिस्मार करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 17/18 के प0न0 338/ [illegible]0 19 के किला न0 6/1 व 15/1 की पूर्व में स्थित सींव जो कि उत्त[illegible]स्थाई निषेधाा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को मिस्मार न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:37:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अललोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों/सीवं व डोल का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सायलान व गैरसायलान के नाम दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि चिपती हुई है एवं गैरसायलान प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होकरएवं सींव व डोल को मिस्मार करना चाहते है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा हों, उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता है।। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 19.06.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:37:19 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर